



Neutral Citation No . - 2026:AHC:5813

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 85 वर्ष 2026

मोहम्मद वासिक सिद्दीकी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	मोहम्मद उमर खान
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

प्रारंभ में ही, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद उमर खान ने वर्तमान याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया है, जिसमें यह मांग की गई है कि प्रतिवादियों को, वर्ष 2011 से बकाया मोटरसाइकिल भत्ता का भुगतान, उचित ब्याज सहित, एक छोटी निश्चित अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को करने का निर्देश देते हुए, परमादेश की प्रकृति का आदेश या निर्देश जारी किया जाए; साथ ही, याचिकाकर्ता के दिनांक 02.12.2025 के अभ्यावेदन (रिट याचिका का अनुलग्नक संख्या 4) पर विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश देने वाला परमादेश की प्रकृति का एक आदेश या निर्देश प्रतिवादियों, विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 2, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, लखनऊ को जारी किया जाए, जिसमें याचिकाकर्ता को मामले पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय में बेहतर विवरण के साथ पुनः याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी जाए।

प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ताओं को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस ले ली गई मानकर **खारिज** की जाती है।

9 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।